उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 18.04.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक 18.04.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।

जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।

साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस — समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

मिशन शक्ति फेज-5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत जनपद महोबा में व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित

मिशन शक्ति फेज-5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत जनपद महोबा के समस्त थानों में व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित विशेष अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.04.2026 को जनपद महोबा में विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

उक्त कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में संपन्न कराए गए।

कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस टीमों द्वारा बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों एवं ग्राम/कस्बा क्षेत्रों में पहुंचकर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया। इस दौरान उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा उन्हें आश्वस्त किया गया कि किसी भी प्रकार की शिकायत, उत्पीड़न अथवा आपात स्थिति में पुलिस द्वारा त्वरित सहायता प्रदान की जाएगी।

पुलिस टीमों ने महिलाओं को घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, साइबर अपराध एवं अन्य महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, 112, 181 आदि एवं मिशन शक्ति केंद्रों की सेवाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मरक्षा के प्रति प्रेरित करते हुए यह संदेश दिया गया कि वे किसी भी प्रकार की समस्या के संबंध में निडर होकर पुलिस से संपर्क करें।

जनपद महोबा पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु निरंतर सक्रिय एवं प्रतिबद्ध है।

मिशन शक्ति फेज–5.0 (द्वितीय चरण) के तहत महिला सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता अभियान — महोबा पुलिस का संवेदनशील प्रयास-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में संचालित मिशन शक्ति फेज–5.0 (द्वितीय चरण) अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के उद्देश्य से विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएँ एवं संवाद सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में आज दिनांक 18.04.2026 को जनपद के समस्त थानों में नियुक्त मिशन शक्ति पुलिस टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत स्कूलों/कॉलेजों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर छात्राओं, छात्रों एवं महिलाओं को आत्मरक्षा, उनके अधिकारों तथा साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रमों के दौरान छात्राओं को 'गुड टच' व 'बैड टच' की पहचान, आत्मरक्षा के सरल उपाय तथा महिला सम्बन्धी अपराधों से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि) के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग के लिए प्रेरित किया गया।

साइबर अवेयरनेस कैम्पेन — डिजिटल युग में सुरक्षा की ओर कदम-

मिशन शक्ति कार्यक्रम के साथ-साथ महोबा पुलिस द्वारा "साइबर अवेयरनेस कैम्पेन" भी संचालित किया जा रहा है। इसके तहत लोगों को साइबर अपराधों के प्रकार, उनसे बचाव के उपाय, साइबर फ्रॉड की पहचान, फेक लिंक/ओटीपी धोखाधड़ी से सतर्क रहने की जानकारी दी गई।

इस दौरान छात्र/छात्राओं को साइबर अपराध की शिकायत हेतु राष्ट्रीय हेल्पलाइन नम्बर 1930 एवं पोर्टल www.cybercrime.gov.in के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर—

- 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1090 – वीमेन पावर लाइन 181 – महिला हेल्पलाइन 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा 102 – गर्भवती महिलाओं/नवजात शिशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा 108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन 101 – अग्निशमन सेवा 1930 – साइबर हेल्पलाइन

अभियान का उद्देश्य-

मिशन शक्ति फेज–5.0 (द्वितीय चरण) एवं साइबर अवेयरनेस कैम्पेन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना तथा समाज में महिला सम्मान की भावना को और अधिक सशक्त बनाना है।

एससी/एसटी एक्ट के वांछित अभियुक्त को थाना खरेला पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यायालय भेजा गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के दिशा-निर्देशन में थाना खरेला पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 23/2026 धारा 105 BNS व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना प्रभारी उ0नि0 श्री सत्येन्द्र सिंह द्वारा मय पुलिस बल के अभियुक्त जगभान यादव पुत्र रामचरन यादव निवासी ग्राम पाठा थाना खरेला जनपद महोबा को मुखबिर की सूचना के आधार पर आज दिनांक 18.04.2026 को थाना क्षेत्र खरेला से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उसे माननीय न्यायालय महोबा भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह, थाना खरेला जनपद महोबा
2. का0 दीपक मौर्या, थाना खरेला जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

जगभान यादव पुत्र रामचरन यादव, उम्र 38 वर्ष
निवासी ग्राम पाठा, थाना खरेला, जनपद महोबा

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:

1.मु0अ0सं0 23/2026 धारा 105 BNS व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना खरेला
2.मु0अ0सं0 119/2020 धारा 323/324/325/504/506 भादवि थाना खरेला
3.मु0अ0सं0 21/2023 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना खरेला जनपद महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 18.04.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

जय हिन्द सर,

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 17.04.2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत कीरत सागर तट के पास निवासरत घुमंतू जाति के दो परिवारों के मध्य किसी बात को लेकर विवाद हो गया।

उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया गया तथा घायल व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मारपीट करने वाले कुछ व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य व्यक्ति उपचाराधीन हैं।

प्रकरण में अन्य सभी आवश्यक विधिक कार्यवाहियां नियमानुसार की जा रही हैं।

उक्त प्रकरण से संबंधित वायरल वीडियो का संज्ञान जिलाधिकारी महोबा द्वारा लिया गया है। प्रकरण में नियमानुसार जांच एवं आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

वर्तमान में क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था पूर्णत: सामान्य है।

डीआईओएस ने पांच विद्यालयों को नोटिस जारी कर दो दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। डीआईओएस प्रेमचंद का कहना है कि निर्धारित समयसीमा के अंदर निजी स्कूल संचालकों की ओर से नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।

शुल्क वृद् ध और दुकान वशेष से कताबें खरीदने के लए अ भभावकों पर दबाव बनाने वाले निजी स्कूल संचालकों पर वभागीय अ धकारियों की निगाह टेढ़ी हो गई हैं। शकायत मलने पर पांच निजी स्कूल संचालकों को नोटिस जारी कर दो दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इससे निजी स्कूल संचालकों में खलबली मची है।